न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2309–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, पृष्ठांकन कमांक 5(1)2014–15/1987.

.....

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा0 लि0
रायरू, जिला ग्वालियर ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर ..... प्रत्यर्थी

.....

श्री यश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2011–12 में अपीलार्थी इकाई को रायरू जिला ग्वालियर में देशी मदिरा की बॉटलिंग करने हेतु सी.एस.1–ख लायसेंस स्वीकृत किया गया था । अपीलार्थी इकाई द्वारा मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना थे :–

1. भवन का निर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
2. स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का सम्मति पत्र ।

3. राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपेक्षित अधिप्रमाणन या निर्बाधा प्रमाण पत्र ।

4. काउण्टर पार्ट एग्रीमेण्ट रूपये 250/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर ।

अपीलार्थी इकाई द्वारा केवल काउण्टर पार्ट एग्रीमेण्ट प्रस्तुत किया गया, अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2014 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) की शर्तो का उल्लंघन होना पाते हुए 1,32,250/– शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा लायसेंस फीस जमा कर दी गई थी, और जो दस्तावेज चाहे गये थे, वे भी प्रस्तुत कर दिये गये थे । आबकारी आयुक्त द्वारा केवल दस्तावेज समय सीमा के बाद प्रस्तुत करने के कारण शास्ति अधिरोपित की गई है, जो अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया जब आबकारी आयुक्त द्वारा लायसेंस रिन्यू कर दिया गया था, तब शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियम 3–ख(10) में शास्ति अधिरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलार्थी इकाई द्वारा नियम 3–ख(10) के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अधिरोपित शास्ति विधिसंगत है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी इकाई को लायसेंस स्वीकृत होने के उपरांत मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना थे :–

5. भवन का निर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ।

6. स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का सम्मति पत्र ।
7. राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपेक्षित अधिप्रमाणन या निर्बाधा प्रमाण पत्र ।
8. काउण्टर पार्ट एग्रीमेण्ट रूपये 250/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर ।

जो प्रस्तुत नहीं किये जाकर केवल काउण्टर पार्ट एग्रीमेण्ट ही प्रस्तुत किया गया है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) की शर्तो का उल्लंघन पाते हुए नियम 12(1) के अंतर्गत अपीलार्थी इकाई पर रूपये 1,32,200/– शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, एवं उसका लायसेंस भी रिन्यू कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपीलार्थी इकाई द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, और लायसेंस रिन्यू करना पृथक प्रकिया है । दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर